

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-10
संख्या 136/2017/45/XXVII(10)/2016
देहरादून: दिनांक 05 मई, 2017

शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या 135/2017/45/XXVII(10)/2016 दिनांक 05 मई, 2017 के पैरा-2 में द्वितीय लाईन में त्रुटिवश दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 जनवरी, 2016 तक अंकित हो गया है। अतः उक्त शासनादेश के पैरा-2 में 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 जनवरी, 2016 के स्थान पर 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक पढ़ा जाय।

शासनादेश संख्या 135/2017/45/XXVII(10)/2016 दिनांक 05 मई, 2017 केवल इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या 136/2017/45/XXVII(10)/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- निदेशक पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23-लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
- 7- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9- प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- गार्ड फाईल।

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)

अपर सचिव।

05/05/2017